

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

27/12/22

उपखण्ड अधिकारी राजकीय  
कार्य स  
काश पर है / परस्मिन् है।  
कस: पत्रापर 27.12.22 को

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27-12-22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लेकर उक्त डूठ जिसे शाठपठ किये गये। विपक्षीगण को फिक्की सरिवा कक-कक कर आयां डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विकट एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्राथीगण का शाठपठ स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शाठपठ किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

य लाल  
म जो  
ही ता  
पारी डी

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 233/22 प्रा. पञ

1 अग्रदासिहं ६० अम्बुसिहं वरोगा निवासी- केरिया तहसील-माण्डल (वर्ग 1)

-प्रार्थी

वनाम

1 अग्रदासिहं ६० अम्बुसिहं वरोगा निवासी- केरिया तहसील-माण्डल (वर्ग 1)  
(सूचनांकित अग्रदासिहं वरोगा)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

1 ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 3299/691, 686 कुल किता 02 रकबा 0.2530 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये गोमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.11.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते गार्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवीपुरा पटवार केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3299/691, 686 केता 02 रकबा 0.2530 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख क आलमारा को 500/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने करान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार र पत्थरगद्दी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

नपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा